

डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क संरचना

(राशि रु. में)

क्र.सं.	मद	राजकीय संस्था व विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के राज्य वित्त पोषित पाठ्यक्रम हेतु		मद	निजी संस्था, निजी जनसहभागिता संस्था एवं राजकीय पॉलिटेक्निक के स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु	
		सत्र 2010–11 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2011–12 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु		सत्र 2010–11 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	सत्र 2011–12 में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु
1.	राजकीय खाता : प्रवेश शुल्क (मात्र प्रवेश के समय)	100	100	शिक्षण शुल्क	12000	14000
2.	शिक्षण शुल्क	3750*	3750*	अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	5000	7500
3.	अराजकीय खाता : अवधान द्रव्य (मात्र प्रवेश के समय)	2000	2000	विकास शुल्क	8000	8000
4.	विविध मद (परिचय पत्र, पत्रिका शुल्क, परीक्षा शुल्क, ड्राइंग शुल्क व पुस्तकालय शुल्क)	500	1000			
5.	पुस्तकालय खुली पुस्तकें (ओपन एक्सेस) शुल्क	200	500			
6.	विद्यार्थी कलब / विद्यार्थी सभा शुल्क	150	250			
7.	खेलकूद शुल्क	150	250			
8.	विकास शुल्क	2650	4150			
	कुल रु.	9500	12000	कुल रु.	25000	29500

* राजकीय पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेशित महिला/राज्य कर्मचारियों के आन्तरिक वित्तीय स्थिति के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अन्यर्थियों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा।

नोट :

- प्रवेश शुल्क एवं अवधान द्रव्य के अतिरिक्त अन्य सभी शुल्क प्रति वर्ष देय होंगे ।
- उक्त शुल्क में परिवर्तन की सम्भावना है । अतः शुल्क में परिवर्तन किया जाता है तो तदनुसार शुल्क जमा करवाना होगा ।
- विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के राज्य वित्तपोषित पाठ्यक्रम सिविल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के शुल्क राजकीय संस्थानों के अनुसार ही होगी ।
- विद्या भवन पॉलिटेक्निक, उदयपुर के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम विद्युत, कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग तथा इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी के शुल्क निजी संस्थानों के अनुसार ही होगी । निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत संचालित महिला पॉलिटेक्निक हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा ।
- राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निजी संस्थाओं के अनुरूप ही होगा ।
- अवधान द्रव्य राशि पाठ्यक्रम की समाप्ति या संस्था छोड़ने पर लौटा दी जायेगी ।